आदेश

इस आदेश की तिथि से एक वर्ष की अनाधिक अवधि के लिए अथवा अगले आदेश प्रसारित होने तक अथवा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा संस्तुति अभ्यर्थी की नियुक्ति होने तक जो भी पूर्व में घटित हो, निम्नांकित-सहर्ष अमत समिति की संस्तुति पर कुमारी कीर्ति अवस्थी को सहायक प्रवक्ता होमसाइंस अभि0 के पद पर मेलकान स्थान 550-900 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत संलग्नाई भारती सहित राजकीय महिला पालीटेक्निक, गोरखपुर में अस्थाईरूप सहर्ष रूप से पद भार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है। कुमारी अवस्थी की यह नियुक्ति पूर्णतया: सहर्ष एवं अस्थाई है तथा एक वर्ष के पूर्व उपरोक्त प्रतिबंध पर यदि आपत्ति न की गई तो इस आदेश की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

कु0 अवस्थी को पद भार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाणपत्र लिखे करने होंगे।

1- सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
2- दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो उनके सम्बन्धी न हों।
3- मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र।
4- भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण पत्र।
5- पति जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र इस कार्यालय एवं निदेशालय को भेजे जाय। नियुक्ति अभ्यर्थिनी दिनांक 26-12-88 तक यदि पदभार ग्रहण करने में असमर्थ रहती है तो उनकी नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माने जायेंगे।

यह भार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

[illegible]
तकनीकी निदेशक
प्राविधिक शिक्षा (पूर्व)
उत्तरप्रदेश।

कार्यालय प्राविधिक शिक्षा
[illegible] बाराबंकी ।

पत्रांक: 1015-18/[illegible]-[illegible]-[illegible]-216 दिनांक 5/12/18

प्रतिनियुक्ति [illegible] आख्या [illegible] हेतु नियमानुसार की

[illegible] ।

प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पालीटेक्निक गोरखपुर को इस आशय से अवगत कि वे निम्नांकित अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके अनुभव एवं अर्हता सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्रों की जाँच कर लें एवं उनके कार्य भार ग्रहण करने की सूचना इस कार्यालय को सूचना करें । उक्त तिथि तक निम्नांकित अभ्यर्थिनी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने पर विभागीय नियमानुसार कार्यालय एवं निदेशालय को अवगत कराया जायेगा ।

कुमारी [illegible] प्रवक्ता आरक्षण की [illegible] अन्य [illegible] ।
रामलीला, [illegible], लखनऊ ।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ ।

[illegible]

एस०एम०[illegible]
उपनिदेशक
प्राविधिक शिक्षानुभाग
बाराबंकी ।